तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
20/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act r.w. O. 39 R 1&2 CPC को adjudicate करने के लिए इन निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- आर्थी० प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि ग्राम कुण्डल्या खेमराज (खारणा कला) की खातेदारी आराजी खाता सं० 75 किता 17 रकबा 30-18 बीघा का सभी पक्षकारानों की सहमति से न्यायालय TDR द्वारा U/s 53(2)(a) RT Act में दिनांक 19/12/2012 को सहमति बटवारा किया गया था जिसमें ख० नं० 40 के तीन भाग किये गये थे। एक भाग जिसका नया ख० नं० 505/40 है, गोपाललाल के हिस्से, दूसरा भाग नया ख० नं० 511/40 रामनिवास के हिस्से एवं तीसरा भाग मूल ख० नं० 40 लक्ष्मीनारायण के हिस्से दर्ज हुए थे। ये तीनों टुकड़े मुख्य रोड के लगा पूर्व से पश्चिम की ओर तीन लम्बी पट्टिका के रूप में नक्शे में दर्ज है। प्रार्थी 1 लक्ष्मीनारायण के ख०नं० 505/40 की करीब 1-08 बीघा भूमि एवं प्रार्थी-2 के ख०नं० 40 की करीब 0-10 बीघा भूमि पर अप्रार्थी रामनिवास द्वारा जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को उनके कानूनी हक व अधिकारों से वंचित कर रखा है और आये दिन लड़ाई झगड़ा कर भूमि को खुर्द-बुर्द [illegible] है। आर्थी० अप्रार्थी ने [illegible] कथन किया कि वर्ष 2012 [illegible] मूल ख० नं० 40 का बटवारा [illegible] और तीनों अपने-अपने हिस्सों पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि ख०नं० 40 व 505/40 पर कोई कब्जा नहीं किया है। अप्रार्थी	3

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
	अपने खसरा नं० 511/40 पर ही काबिज है। प्रार्थीगण के खेत मुख्य सड़क (कुण्डला - मिपानिया सड़क) से लगाना होने पर भी अप्रार्थी की भूमि ख० नं० 511/40 में होकर व्यवस्था रास्ता कायम करने पर आमदा है जिसका इन्हे कोई अधिकार नहीं है।	
	पत्रावली के अवलोकन एवं बहस के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में (ख० नं० 40 व 505/40 पर प्रवेश कब्जा के हद तक) एवं आंशिक रूप से (ख० नं० 511/40 से होकर रास्ता कायम) विरुद्ध साबित होता है।	
	(ब) सुविधा का सन्तुलन :- कानूनी रूप से ना तो अप्रार्थी को प्रार्थीगण की भूमि ख० नं० 40 व 505/40 पर कब्जा करने का अधिकार है और ना ही प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि ख० नं० 511/40 से होकर प्रवेश रास्ता कायम करने का अधिकार है। अतः सुविधा का सन्तुलन आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं आंशिक रूप से विरुद्ध साबित है।	
	(स) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी द्वारा प्रवेश कब्जा करके खुर्द बुर्द करने पर और प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि में होकर प्रवेश रास्ता कायम करने पर दोनों ही पक्षों को अपूरणीय क्षति होना सम्भावी है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र U/s	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अतः प्र.प. O.39 R1&2 C आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी 1 को ताफैसला मूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि ख०नं० 40 व 505/40 पर कब्जाकाश्त में दखल नहीं देवे तथा प्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे, अप्रार्थी की भूमि ख०नं० 511/40 से होकर जबरन रास्ता नहीं बनावे। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	4

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner